राज्य शासन अनुदेश

मध्यप्रदेश शासन

गृह (सामान्य) विभाग

क्र. एफ- 1-121-73/दो-ए- (3) दिनांक 1 नवम्बर, 1973

ज्ञापन

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त, (भोपाल को छोड़कर)
मध्यप्रदेश।

विषय :- जिला तथा संभागीय स्तर पर म. प्र. में (भोपाल को छोड़कर) शा. निवास स्थान के नियम।

शासन के देखने में आया है कि जिला तथा संभागीय स्तर पर शासकीय आवासगृहों को संबंधित शासकीय कर्मचारियों को उचित रूप से आवंटित नहीं किये जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन ने जिला तथा संभागीय स्तर पर म. प्र. (भोपाल को छोड़कर) शासकीय निवास स्थान आवंटन के नियम बनाये हैं जिसकी हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता.
(सी.डी. आप्टे)
अवर सचिव

जिला तथा संभागीय स्तर पर निवास-स्थान आवंटन के लिये नियम

1. (एक) ये नियम भोपाल को छोड़कर मध्यप्रदेश में निवास-स्थानों के समूह (पूल) के आवंटन को शासित करेंगे।

(दो) ये नियम प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

2. *इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,–*

(क) *'आवंटन' से तात्पर्य इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी एक निवास स्थानों को कब्जे में लेने के लिये अनुमति पत्र देने से है;*

(ख) **'आवंटन वर्ष'** से तात्पर्य पहली अप्रैल को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष या ऐसी अन्य तारीख से है, जो अधिसूचित की जाये;

(ग) **'पात्र कार्यालय'** से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन के किसी कार्यालय से है;

(घ) **'आवंटन अधिकारी'** से तात्पर्य अध्यक्ष, गृह आवंटन समिति, कलेक्टर, आयुक्त अथवा इसके लिये राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ङ) 'अग्रता तारीख' से तात्पर्य ऐसी पूर्व तारीख से है, जिससे कोई शासकीय कर्मचारी ऐसे विशिष्ट प्रकार के निवास-स्थान में संगत, जिसके लिये वह हकदार हो, उपलब्धियां लगातार पाता रहा हो;

Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh
Home Department

Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh
Home Department

Section Officer
Section Officer
Govt. of M...

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् १९७२.

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२.

[दिनांक १४ अगस्त, १९७२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २२ अगस्त, १९७२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. यह अधिनियम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ कहा जा सकेगा.

परिभाषा.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "मंत्री" के अंतर्गत "मुख्य मंत्री" आता है.

मंत्रियों, राज्य मंत्रियों उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन.

*३. मुख्यमंत्री को तीस हजार रुपये, प्रत्येक मंत्री को सत्ताईस हजार रुपये, राज्य मंत्री को पच्चीस हजार रुपये तथा उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को बीस हजार रुपये, प्रतिमास वेतन दिया जाएगा.

मंत्रियों आदि को सत्कार भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और दैनिक भत्ता.

**४. (१) मुख्यमंत्री को पचास हजार रुपये, प्रत्येक मंत्री को तीस हजार रुपये, प्रत्येक राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(२) मुख्यमंत्री तथा प्रत्येक मंत्री को सत्ताईस हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा प्रत्येक राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को सत्ताईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर एक हजार दो सौ रुपए तथा राज्य के बाहर एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाएगा.

मंत्रियों आदि का निवास स्थान.

५. (१) प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव भोपाल में, अपने पद की पूरी अवधिभर और उसके अव्यवहित पश्चात् एक मास की कालावधि तक, किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण की बाबत् मंत्री या उप मंत्री या राज्य मंत्री या संसदीय सचिव को वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार नहीं देना पड़ेगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये निवास स्थान में उससे अनुलग्न कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य भवन एवं उसका उद्यान सम्मिलित है और किसी निवास स्थान से संबंधित "अनुरक्षण" में स्थानीय रेटों तथा करों का भुगतान और विद्युत् एवं जल की व्यवस्था सम्मिलित है.

(२) यदि कोई मंत्री या कोई राज्य मंत्री या कोई उप मंत्री या कोई संसदीय सचिव उपधारा (१) का फायदा न उठाये, तो वह उसके बदले में उतना गृह किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि धारा 3 के अधीन उसे देय वेतन के बीस प्रतिशत के बराबर है.

---

* विधि विभाग की अधिसूचना क्र. २५३६-२२७-इक्कीस-अ (प्रा.), दिनांक ३ जून २०१० द्वारा संशोधित.

** विधि विभाग की अधिसूचना क्र. २८२९-१८८-इक्कीस-अ (प्रा.), दिनांक १६ मई २०१२ द्वारा संशोधित.

Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh,
Home Department

Scanned with CamScanner

(३) उपधारा (१) के अधीन भोपाल में नि:शुल्क सुसज्जित निवास स्थान के अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव किसी ऐसे अन्य स्थान पर जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव के शासकीय निवास का स्थान घोषित करें, सुसज्जित निवास स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उस समय तक के लिये जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहे, उपयोग करने का भी हकदार होगा.

(४) यथास्थिति किसी मंत्री, किसी राज्य मंत्री, किसी उप मंत्री या किसी संसदीय सचिव को उपधारा (१) के अधीन दिये गये निवास स्थान को सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय निम्नलिखित आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा:—

मंत्री	. .	पैंतीस हजार रुपये
राज्य मंत्री	. .	पच्चीस हजार रुपये
उप मंत्री	. .	बीस हजार रुपये
संसदीय सचिव	. .	पन्द्रह हजार रुपये

(५) निवास-स्थान ऐसे उद्यान के, जिनके लिये कि उपधारा (१) के अधीन उपबंध किया गया है, समारक्षण, वार्षिक मरम्मतों तथा अनुरक्षण के बारे में किये जाने वाले वार्षिक व्यय ऐसी आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियम द्वारा अधिकथित की जाय.

मंत्रियों आदि के लिये वाहन.

६ (१) प्रत्येक मंत्री को, प्रत्येक राज्य मंत्री को, प्रत्येक उप मंत्री को तथा प्रत्येक संसदीय सचिव को उसके उपयोग के लिए एक-एक उपयुक्त मोटरयान दिया जायेगा जिसका क्रय तथा अनुरक्षण उन नियमों के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाये जाय, सरकारी व्यय से किया जायगा.

* (२) राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक मोटरयान के लिये सरकारी व्यय से दो मोटर चालक (शोफर) की भी व्यवस्था करेगी और प्रत्येक मोटरयान के लिये, ऐसे प्रत्येक मोटरयान द्वारा की गई यात्राओं (जो उन यात्राओं से भिन्न हो जिनके लिये कि यात्रा-भत्ता अनुज्ञेय है) के लिये उपयुक्त मोटर ईंधन का भी प्रदाय करेगी जो मंत्री को दिये गये मोटरयान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ पचास लीटर, राज्य मंत्री को दिये गये मोटरयान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ लीटर, उप मंत्री को दिये गये मोटर यान की दशा में अधिक से अधिक दो सौ पचहत्तर लीटर और संसदीय सचिव को दिये गये मोटर यान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक दो सौ पचास लीटर होगा.

मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि.

**"७. (१) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उप यंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव और यथास्थिति मंत्री/राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव के कुटुम्ब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर, नि:शुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुम्ब के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ (१९५१ का सं. ६१) के अधीन समय-समय पर बनाए गए चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती हैं.

(२) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उप मंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव, जबकि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी नि:शुल्क हकदार होगा जो उस स्थान पर भारत मिशन (इंडिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो.".

किसी वृत्ति के करने सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त करने आदि का प्रतिषेध.

८. कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उप मंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव —

(क) अपने पद की, जिसके लिये कि वह वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता है, अवधि के दौरान कोई वृत्ति नहीं करेगा या किसी व्यापार में नहीं लगेगा या मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई नियोजन पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये ग्रहण नहीं करेगा, और

(ख) मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कोई वेतन या भत्ता प्राप्त करने का उस दशा में हकदार नहीं होगा जबकि वह अपने पद के लिये वेतन तथा भत्ता प्राप्त करता हो.

Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh
Home Department

* अधिसूचना क्रमांक १०६४८/इक्कीस/अ (प्रा), दिनांक ५ मई १९८७ द्वारा संशोधित.
** विधि विभाग की अधिसूचना क्र. ५१७१-इक्कीस-अ (प्रा), दि. २४-५-१९८९ द्वारा संशोधित.

Scanned with CamScanner